P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL.-7, ISSUE-4 (Part-1) May-2019
E: ISSN No. 2349-9435 Periodic Research

सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों की सांवेगिक बुद्धि का तुलनात्मक अध्ययन

रश्मि गोरे
असिस्टेण्ट प्रोफेसर,
शिक्षा विभाग,
छत्रपति शाहू जी महाराज
विश्वविद्यालय,
कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

शिव नारायण
शोध छात्र,
शिक्षा विभाग,
छत्रपति शाहू जी महाराज
विश्वविद्यालय,
कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

बुद्धि के कारण ही मानव अन्य प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सका है, और उसने आदिम युग से जेट युग की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न की है। सांवेगिक बुद्धि व्यक्ति को निर्णय लेने, समायोजन करने तथा संवेगों के निर्णयन के रूप में जानी जाती है। सांवेगिक बुद्धि व्यक्तियों के संवेगों को जानने एवं लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होता है। अतः सांवेगिक बुद्धि का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों की शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक, गामक एवं चारित्रिक आदि शक्तियों का विकास करने के लिए विशिष्ट प्रयत्न किये जाते है। भारतीय समाज विभिन्न जातियों धर्मों, बोलियों एवं संस्कतियों का देश है। भारत में अनुसूचित जाति वर्ग एक लम्बे समय तक शोषण का शिकार रही है, किन्तु स्वतन्त्र भारत में संविधान में उसके अधिकारों की रक्षा की गयी है तथा उनके विकास हेतु विशेष प्रावधान कियें गयें है। स्वतंत्रता के बाद से आज तक सरकार के विशिष्ट प्रावधानों से अनुसूचित जाति के बालकों के विकास हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे है। निःशुल्क शिक्षा, रोजगार तथा उच्च शिक्षा में आरक्षण, शैक्षिक छात्रवृत्तियां इत्यादि इसके उदाहरण है। 72 वर्ष के विकास के पर्यावरण ने अनुसूचित जाति के बालकों के गुणों एवं सामर्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। अतः शोधार्थी के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों तथा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की सांवेगिक बुद्धि में अन्तर है? क्या सामान्य वर्ग की छात्र–छात्राओं तथा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र–छात्राओं की सांवेगिक बुद्धि में भिन्नता है? इस जिज्ञासा का शमन करने हेतु प्रस्तुत शोध अध्ययन में 100 सामान्य तथा अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं को न्यादर्श के रूप में लिया तथा निष्कर्ष में पाया कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की सांवेगिक बुद्धि अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की सांवेगिक बुद्धि से अधिक है। शोध परिणामों से स्पष्ट है कि सांवेगिक बुद्धि का प्रभाव उनकी विभिन्न प्रकार की रूचियों अभिवृत्तियों, कार्यक्षमताओं एवं आकांक्षाओं आदि पर पड़ता हैं। सांवेगिक बुद्धि व्यक्तिगत क्षमताओं की कुंजी है। विद्यार्थियों की सांवेगिक बुद्धि के स्तर का ज्ञान हो जाने पर छात्रों को शैक्षिक, वैयक्तिक एवं कैरियर सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए सही तरीके से निर्देशन एवं परामर्श प्रदान किया जा सकता है। जिससे छात्रों के आत्म विश्वास में वृद्वि होगी तथा विद्यार्थियों के कुण्ठा, तनाव एवं अवसाद को दूर किया जा सकता है, इस प्रकार से विद्यार्थियों के सुसमायोजित व्यक्तित्व का निर्माण हो सकेगा, जिससे सुसंगत समाज के निर्माण को दिशा नई मिलेगी। इस प्रकार स्नातक स्तर के विद्यार्थी की सांवेगिक बुद्वि के सन्तुलित विकास से उनके व्यक्तित्व का विकास एवं निर्णय लेने की क्षमता एवं कौशल दक्षता का विकास होगा।

मुख्य शब्द : स्नातक स्तर के विद्यार्थी, सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित वर्ग एवं सांवेगिक बुद्धि।

प्रस्तावना

किसी भी समाज के सामाजिक, आर्थिक स्तर को शिक्षा व्यापक रूप से प्रभावित करती है। यदि कोई समाज विकास की धारा में पीछे रह जाता है, तो इसका मूलभूत कारण उस समाज का अशिक्षित होना है। माता–पिता अपने बालकों को शैक्षिक वातावरण नही दे पाते है, और शिक्षा के दूरगामी परिणामों को न जानने के कारण वे उन्हे अपनी आजीविका प्राप्त करने में संलग्न कर देते है तथा बच्चों को उनके शैक्षिक अधिकारों से बंचित कर देते है। परिणामतः उनका उचित सामाजिक एवं मानसिक विकास नही हो पाता है। आज के समय की लोकतांत्रिक एवं समाजवादी सरकारों का एक मुख्य उत्तरदायित्व समाज के दबे–कुचलें, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से कमजोर वर्ग हेतु कल्याणकारी

योजनाओं के माध्यम से उन्हे मुख्यधारा में लाने का प्रयास करना है। इन कार्यों को जनता के द्वारा चुनी गयी सरकारों द्वारा बड़ी ही कर्तव्यनिष्ठा के निभाने का पूर्ण प्रयास किया गया। संविधान के नीति निदेशक तत्वों में अनुछेद 45 में प्रावधान किया गया था, कि सरकार संविधान के लागू होने के 10 वर्षो के भीतर 6–14 आयु वर्ग के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा समय–समय पर अपने स्तर पर प्रयास किये गये। अभी तक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राज्य सूची एवं उच्च शिक्षा संघ सूची में शामिल थी। शिक्षा को 1976 मे 42 वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। जिससे शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार दोनो कर सकती है, लेकिन राज्य सरकरों एवं केन्द्र सरकार के कानून में विरोध होने पर केन्द्र सरकार के कानून को ही प्रधान माना जाता है। भारत में संविधान लागू होने के 60 वर्षों के बाद ही 6–14 आयु वर्ग के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बन सका जो 1 अप्रैल 2010 से सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया गया।

भारतीय समाज लम्बे समय से विभिन्न जातियों में विभक्त है, वैदिक काल से वर्तमान काल तक समाज की संरचना में आमूलचूल परिर्वतन होते रहे है। कार्य के आधार पर विभक्त सामाजिक संरचना धीरे–धीरे जन्म के आधार पर जातिगत बन्धनों में जकड़ती चली गयी। राजनैतिक परिवर्तनों ने सामाजिक संरचना को सर्वाधिक प्रभावित किया है। अनुसूचित जाति की उत्पत्ति का आधार प्राचीन वर्णव्यवस्था थी। ऋग्वेद के दसवें मण्डल के पुरुष सूक्त के अनुसार भारतीय समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों में विभक्त था, किन्तु इस विभाजन का आधार प्रारम्भ में कर्म (कार्य) था। मनुस्मृति में उल्लखित वर्ण व्यवस्था में उल्लेख है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय का, उदर से वैश्यों को तथा पैरों से शूद्रों को उत्पन्न बताया गया। ब्राह्मण का कार्य पठन–पाठन एवं पुरोहिती करना, क्षत्रियों का कार्य प्रशासन एवं समाज की रक्षा करना, वैश्यों का कार्य कृषि एवं व्यापार करना एवं शूद्रों का कार्य इन तीनों वर्णों की सेवा करना बताया गया। कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था कुछ समय के बाद जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में बदल गयी। धीरे–धीरे यह वर्ग भारतीय समाज के अन्य वर्णों में अस्पृश्य या अछूत माना जाने लगा एवं लम्बे समय तक छुआछूत व बहिष्कार जैसी कुरीतियों के कारण शोषित होता रहा। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने दलित के स्थान पर 'हरिजन' नाम दिया। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने भी भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रावधान करने हेतु सराहनीय प्रयास कियें। अनुसूचित जाति को परिभाषित करते हुए भारतीय संविधान में उल्लिखित है कि "किसी भी प्रदेश या केन्द्रशासित क्षेत्र में राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति किसी जाति, जातियों या जनजातियों समूहों को अधिसूचित करता है और ये जातियां उस प्रदेश या केन्द्र शासित क्षेत्र के सम्वन्ध में संविधान के सन्दर्भ में अनुसूचित जातियां मानी जायेगी। इस वर्गीकरण का आधार सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक हो सकता है। अनुसूचित जाति के लिए पूर्व में दलित शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका आशय है, शोषित, कुचला या दबा हुआ, पीड़ित आदि। यह अंग्रेजी शब्द डिप्रेस्ड का हिन्दी अनुवाद है और डिप्रेस्ड क्लास की जनगणना सर्वप्रथम 1911 में की गयी थी।[1] 1931–32 में ब्रिट्रिश शासन के समय गोलमेज सम्मेलन हुआ, ब्रिट्रिश शासकों ने समाज के ऐसे दबे हुए वर्ग की जातिवार अनुसूची बनायी, इस सूची में उन जातियों को शामिल किया गया, जो उस समय अछूत मानी जाती थी, इस कारण वह विकास की मुख्य धारा बंचित रह गयी। स्वतंत्रता के बाद प्रशासनिक सुविधा के लिए संवैधानिक आदेश 1950 के द्वारा 29 भारतीय राज्यों तथा सात केन्द्र शासित प्रदेशों की 1108 जातियों को इस सूची में सम्मिलित किया गया। वर्तमान जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.6 प्रतिशत है।[2] संविधान के अनुच्छेद 46 में प्रावधान किया गया, कि सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों के लिये राज्य विशिष्ट कार्य करेंगें। अनुच्छेद 15 (4) द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, 16 (4), 16 (4क), 16 (4ख) द्वारा पदों व सेवाओं में आरक्षण व अनुच्छेद 23 द्वारा बालश्रम निषेध तथा पाँचवीं तथा छठवीं अनुसूचियों में विशेष प्रावधान कियें गयें है।

सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण मंत्रालय न केवल अनुसूचित जातियों के हितों का संरक्षण करता है, बल्कि उसके कल्याण हेतु योजनायें बना कर उन्हे लागू भी करता है। यह मंत्रालय अनुसूचित जाति विकास ब्यूरों के अन्तर्गत उप योजना (Scheduled Cast Special Plan) का क्रियान्वयन एक ऐसी रणनीति के तहत करता है, जिससे अनुसूचित जातियों को भौतिक व वित्तीय लाभ हो। वर्तमान समय में यह 27 राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्य कर रहे है। भारत सरकार ने वर्तमान समय हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार हेतु योजना चलाई जा रही है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, नेशनल सफाई कर्मचारी फांइनेंस एण्ड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन तथा नेशनल शेड्यूल कास्टस् फांइनेंस एण्ड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन खोले है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा उनके हितों के संरक्षण हेत प्रयास किये जा रहे है।

वर्तमान में समाज कल्याण द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना, बुक बैंक योजना, शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, अनावर्ती सहायता योजना, प्रावैधिक शिक्षा से संबंधित सुविधायें चलायी जा रही है। इसी के साथ सफाई कार्य में संलग्न अनुसूचित जाति के लोगों हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना चलायी जा रही है। अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 1989 के क्रियान्वयन से संबंधित योजना, आश्रम पद्धति विद्यालयों, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय एवं छात्रावासों का संचालन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु शादी या बीमारी पर दिया जाने वाला अनुदान, अशक्त व

वृद्ध गृह राजकीय भिक्षुक गृह इत्यादि का संचालन किया जा रहा है। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत रोजगार योजना, निःशुल्क सेनेटरी मार्ट योजना, कौशल प्रशिक्षण योजना, निःशुल्क बोरिंग योजना जैसे कई प्रकार की शैक्षिक, सामाजिक आर्थिक व कल्याणकारी योजनायें चलाई जा रही है।

स्वतन्त्रता के लगभग 72 वर्षों के बाद भी भारत सरकार की इन शैक्षिक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक क्षेत्रों में अनवरत चलायी जा रही योजनाओं से क्या अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं का विकास सामान्य जाति के छात्र–छात्राओं की तरह हो सका है? क्या जाति विशेष के कारण उपरोक्त दोनों समूहों के व्यक्तित्व गुण जैसे संवेगात्मक बुद्धि में कोई अन्तर नही है? इन जिज्ञासाओं के शमन हेतु अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रस्तुत शोध समस्या का चयन किया गया।

संवेगात्मक बुद्धि दो शब्दों 'संवेगात्मक' और 'बुद्धि' के संयोग से बनी है। संवेगात्मक शब्द का संबन्ध संवेगो से है तथा बुद्धि शब्द का सम्बन्ध संज्ञानात्मक क्षमताओं से हैं। संवेगात्मक बुद्धि से आशय संवेगों के सही से प्रबन्धन और उपयोग से लिया जाता है। संवेगों को समझने, अभिव्यक्त करने, तथा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनका उचित व्यवस्थापन करने की योग्यता से लिया जाता है। इसमें व्यक्ति के स्वंय के संवेगों तथा दूसरे के संवेगों का जानने, समझने व प्रबन्धन करने की समग्र योग्यता शामिल रहती है। संसार का प्रत्येक प्राणी वैयक्तिक दृष्टि से भिन्न होता है, अर्थात संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णरूप से समान नही होते है। यहाँ तक कि माता–पिता की जुड़वा संताने भी शारीरिक गठन, रंगरूप, लिंगभेद, भार, बुद्धि, स्वभाव, रूचि व्यक्तित्व आदि गुणों में भिन्न होती हैं।

व्यक्ति की बुद्धि का एक महत्वपूर्ण भाग सांवेगिक बुद्धि भी होती है। जो व्यक्ति के दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में पर्यावरणीय स्थितियों के प्रति तात्कालिक निर्णय लेने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। सांवेगिक बुद्धि के उचित विकास से व्यक्ति उचित एवं समाजोन्मुखी निर्णय लेने में सक्षम बनता है। सांवेगिक बुद्धि को संवेगात्मक बुद्धि भी कहा जाता है। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेल्डोच (Beldoch) के द्वारा 1964 में किया गया, ल्यूनर के द्वारा 1966 में उल्लेख करने के सन्दर्भ मिलते है। संवेगात्मक बुद्धि शब्द आधुनिक समय में प्रयोग सर्वप्रथम वाइने पेइनी (Wayne Panye) के द्वारा 1985 में अपने शोध–प्रबन्ध– संवेग एक अध्ययन : संवेगात्मक बुद्धि का विकास (A Sudey of Emotion: Developing Emotional Intelligence) में किया था। इसके उपरान्त 1989 स्टैनली ग्रीनस्पान (Stanley Greenspan) ने संवेगात्मक बुद्धि का एक प्रतिमान प्रस्तुत किया एवं इसी वर्ष पीटर सालवे तथा जॉन मेयर के द्वारा संवेगात्मक प्रत्यय को आगे बढ़ाया गया तथा परीक्षण हेतु 1990 में एक परीक्षण भी तैयार किया। लेकिन संवेगात्मक बुद्धि की ओर सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने का श्रेय जाता है, आधुनिक मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन ने। उन्होने ने 1995 में प्रकाशित अपनी पुस्तक "Emotional Intelligence : Why It Can Matter More Than I.Q." में दिया। डेनियल गोलमैन की यह पुस्तके स्वं सहायता प्रकार की तथा गैर अकादमिक प्रकृति वाली पुस्तके थी फिर भी इन्होने संवेगात्मक बुद्धि के क्षेत्र में भूचाल ला दिया और लोकप्रिय बना दिया।

सांवेगिक बुद्धि के प्रत्यय की पूर्व धारणा है कि जीवन में सफल होने के लिए व्यक्ति को अपने स्वंय के संवेगों को जानने, नियंत्रित करने व उनका प्रवन्धन प्रभावी ढ़ग से करने के साथ–साथ दूसरे के संवेगों को भी प्रभावी ढ़ग से समझने, प्रयुक्त करने व दिशा निर्देशित करने की सामर्थ्य विकसित करना जरूरी है। दूसरे शब्दों में संवेगात्मक बुद्धि में– स्वयं को तथा अपने लक्ष्यों, मन्तव्यों, प्रतिक्रियाओं व व्यवहारों को समझने एवं दूसरों को व दूसरों की भावनाओं को समझने के दो पक्ष समाहित रहते है। सामान्य बुद्धि तथा संवेगात्मक बुद्धि के अन्तर को जानना जरूरी है। सामान्य बुद्धि वस्तुतः एक संज्ञानात्मक योग्यता है जबकि संवेगात्मक बुद्धि भावात्मक योग्यता या शीलगुण है। सामान्य बुद्धि तार्किक ढ़ग से विचार करने, व समायोजन करने में सहायता करती है जबकि संवेगात्मक बुद्धि संवेगों को समझकर व उनका सही ढ़ग से नियत्रंण व प्रबन्धन करके कार्य में सफलता प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करती है। सामान्य बद्धि में सैद्धान्तिक पक्षों पर ध्यान केन्द्रित होता हैं, जबकि संवेगात्मक बुद्धि व्यावहारिकता पर ध्यान दिया जाता है। उच्च सामान्य बद्धि वाले विद्यार्थी प्रायः समालोचक, अभिमान रहित, तार्किक, विषयसुख से विमुख तथा सांवेगिक प्रकृति के होते हैं। जबकि उच्च संवेगात्मक बुद्धि वाले विद्यार्थी सन्तुलित, उत्साहित, समर्पित, सहानुभूति तथा सहज होते हैं। वस्तुतः संवेगात्मक बुद्धि में स्व–जानकारी, संवेग प्रबन्धन, स्व–अभिप्रेरणा, अनुभूति तथा द्वन्द्व–समाधान जैसी योग्यताएँ निहित रहती हैं। कुछ विद्वान स्व–बोध (Self-Awarness), स्व–प्रबन्धन (Self-Management), सामाजिक बोध (Social Awareness) तथा सम्बन्ध प्रबन्धन (Relationship-Management) की संवेगात्मक बुद्धि के चार प्रमुख विशेषक (Attributes) मानते हैं। स्व–बोध (Self-Awarness) से आशय है विद्यार्थी द्वारा अपने संवेगों को समझना तथा उनके विचारों व व्यवहार पर संवेगों के प्रभाव को समझना, अपने सकारात्मक व नकारात्मक पक्षों को जानना एवं आत्म विश्वास बनाये रखने से है। जबकि स्व–प्रबन्धन (Self-Management) से आशय सांवेगिक भावनाओं व व्यवहार को नियंत्रित करने, अपने संवेगों का सही ढ़ग से उपयोग करने, पहल करने, वचनबद्धता को मानने एवं बदलती परिस्थितियों से अनुकूलन करने से है। वैसे ही सामाजिक बोध (Social Awareness) से आशय दूसरे के संवेगों को समझने, सामाजिक रूप से सहज रहने एवं समूह या संगठन में शक्ति समीकरण (Power Dynamics) को स्वीकार करने से है। लेकिन सम्बन्ध प्रबन्धन (Relationship-Management) से आशय अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने व उन्हे बनाये रखने, स्पष्ट सम्प्रेषण करने, दूसरों को प्रेरित व प्रभावित करने, समूह में अच्छा कार्य करने एवं द्वन्द्वों को समाप्त करने तथा असामंजस्य के समाधान करने का प्रयास करने से हैं। वर्तमान समय में

संवेगात्मक बुद्धि के योग्यता प्रतिमान (Ability Model), शीलगुण प्रतिमान (Trait Model) एवं मिश्रित प्रतिमान (Mixed Model) का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता हैं। संवेगात्मक बद्धि समायोजन में सहायता करती है। ऑस्टिन, ईवानस, गोल्डवॉटर एवं पॉटर (2005) तथा दोस्तों एवं परिवार के साथ सकारात्मक एवं सहयोगपूर्ण सम्बन्ध बनाने में सहायक है, मेयर, क्रूसों एवं साम्बों 1993) कई शोध निष्कर्षों में पाया गया कि संवेगात्मक बुद्धि का निम्न स्तर मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। कुमार एवं अन्य (2014) ने 450 हाईस्कूल के छात्रों के न्यादर्श पर अध्ययन किया और पाया कि संवेगात्मक बुद्धि के सन्दर्भ में भारतीय जनसाँख्यिकीय समूहों (अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा गैर पिछड़ा वर्ग) में कोई सार्थक अन्तर नही है। सेंगर (2013) ने 'किशोरों की संवेगात्मक बुद्धि का उनकी शैक्षिक उपलब्धि एवं समायोजन के सन्दर्भ में 200 छात्रों–छात्राओं पर अध्ययन किया तथा पाया कि किशोर छात्र–छात्राओं की सांवेगिक बुद्धि में सार्थक अन्तर था। किशोर छात्रों की सांवेगिक बुद्धि का उसकी शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव नही था। किशोर छात्र–छात्राओं की संवेगात्मक बुद्धि का समायोजन पर सार्थक प्रभाव नही था। मिश्रा एवं अन्य (2013) ने अपने शोध अध्ययन में पाया, कि योग्यता, अनुभव एवं लिंग पर संवेगात्मक बुद्धि का कोई प्रभाव नही दिखाई देता है। पाराशर (2017) ने अपने अध्ययन में उच्च माध्यमिक राजकीय एवं गैर राजकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की संवेगात्मक बुद्धि के आयामः स्वयं एवं अन्य के प्रति जागरूकता, व्यावसायिक उन्मुखीकरण, अन्तर वैयक्तिक प्रबन्धन एवं अन्तः वैयक्तिक प्रबन्धन में सार्थक अन्तर पाया गया।

समस्या कथन

स्नातक स्तर के सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की सांवेगिक बुद्वि का तुलनात्मक अध्ययन।

चरों का संक्रियात्मक परिभाषीकरण

स्नातक स्तर के विद्यार्थी

प्रस्तुत शोध में स्नातक स्तर के विद्यार्थियों से आशय छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों से लिया गया है।

सामान्य वर्ग के विद्यार्थी

प्रस्तुत शोध में सामान्य वर्ग के विद्यार्थी से आशय उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले स्नातक स्तर के सवर्ण विद्यार्थियों से है।

अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी

प्रस्तुत शोध मे अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थी से आशय उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वर्ग की सूची में सम्मिलित स्नातक स्तर के विद्यार्थियों से है।

सांवेगिक बुद्धि

सांवेगिक बुद्धि से तात्पर्य संवेगों की जानकारी करना उन्हें स्वीकार करना, सही दृष्टिकोण एवं उचित सांवेगिक अनुक्रिया से है। प्रस्तुत शोध में सांवेगिक बुद्धि के अन्तर्गत अन्तः वैयक्तिक जागरूकता, अन्तर वैयक्तिक जागरूकता, अन्तः वैयक्तिक प्रबन्धन एवं अन्तर वैयक्तिक प्रबन्धन को सम्मिलित किया है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

शोध अध्ययन के निम्न उद्देश्य है–

1. सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों तथा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की सांवेगिक बुद्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. सामान्य वर्ग की छात्राओं तथा अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं की सांवेगिक बुद्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. सामान्य वर्ग के छात्रों तथा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों की सांवेगिक बुद्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन का परिसीमांकन

प्रस्तुत शोध पत्र छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर उत्तर प्रदेश से सम्वद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक स्तर के बी0ए0 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की सांवेगिक बुद्धि के अध्ययन तक परिसीमित है।

शोध अध्ययन की परिकल्पना

प्रस्तुत शोध अध्ययन की शोध परिकल्पनायें निम्न है –

H_{01}सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की सांवेगिक बुद्धि में अन्तर होता है।

H_{02} सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं की सांवेगिक बुद्धि में अन्तर होता है।

H_{03} सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों की सांवेगिक बुद्धि में अन्तर होता है।

शोध अध्ययन की विधि (Methodolgoy of Research Study)

प्रस्तुत शोध अध्ययन में वर्णानात्मक अनुसंधान विधि के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया।

जनसंख्या

प्रस्तुत शोध में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्वद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक स्तर के सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को जनसंख्या के रूप में शामिल किया गया है।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर उत्तर–प्रदेश से सम्वद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत् बी० ए० प्रथम वर्ष में 100 विद्यार्थियों का चयन अध्ययन के न्यादर्श के रूप में किया गया।

न्यादर्शन विधियाँ

प्रस्तुत शोध अध्ययन में न्ययदर्श का चयन साधारण यादृच्छिक न्यादर्शन विधि से विद्यालयों का तथा उद्देश्यपूर्ण न्यादर्शन विधि से विद्यार्थियों का चयन किया गया।

न्यादर्श का आकार

प्रस्तुत शोध अध्ययन को छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध महाविद्यालयों से 100 विद्यार्थियों को क्रमशः 50–50

सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित वर्ग के छात्र–छात्राओं का चयन न्यादर्श के रूप में चयन किया। जिसमें से पुनः 25–25 छात्र–छात्रायें सामान्य वर्ग एवं 25–25 छात्र–छात्रायें अनुसूचित जाति वर्ग की सम्मिलित है। न्यादर्श की संरचना इस प्रकार है।

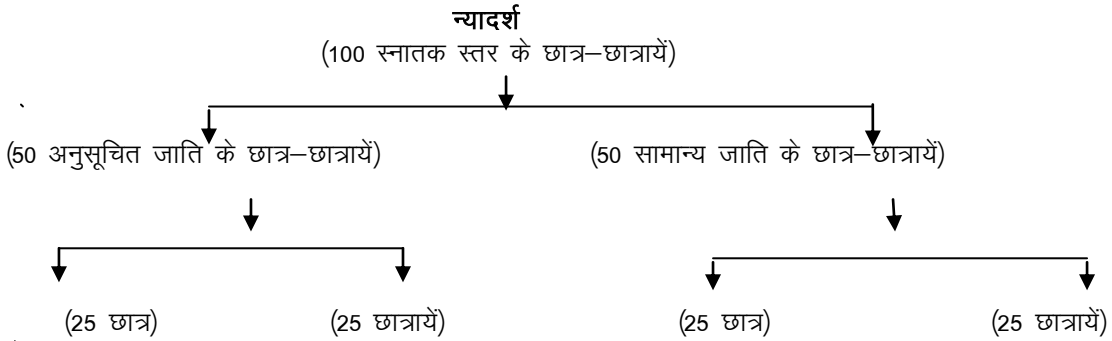

शोध में प्रयुक्त चर

प्रस्तुत शोध में स्वतन्त्र चर

प्रस्तुत शोध में सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थी *(जाति)* तथा छात्र एवं छात्रायें *(लिंग)* स्वतन्त्र चर है।

प्रस्तुत शोध में आश्रित चर

आश्रित चर वह है जिस पर स्वतन्त्र चर का प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुत अध्ययन में सांवेगिक बुद्धि आश्रित चर है।

प्रदत्त संकलन उपकरण

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रदत्तों के संकलन के लिए डॉ० एस0 के0 मंगल द्वारा मानकीकृत सांवेगिक बुद्धि मापनी प्रमापीकृत परीक्षण उपकरण का प्रयोग किया गया है। सांवेगिक बुद्धि के अन्तर्गत अन्तः वैयक्तिक जागरूकता, अन्तर वैयक्तिक जागरूकता, अन्तः वैयक्तिक प्रबन्धन एवं अन्तर वैयक्तिक प्रबन्धन को सम्मिलित किया है।

प्रदत्त संकलन

प्रस्तुत शोध अध्ययन में स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों के मापन के लिये सांवेगिक बुद्धि मापनी मानकीकृत परीक्षाओं द्वारा प्राप्त आंकड़े प्राथमिक आंकड़ों के रूप में प्राप्त किये गये।

सांख्कीय प्रविधियाँ

प्रस्तुत शोध में माध्य, मानक विचलन एवं 'टी'– मान का प्रयोग किया गया। 'टी'– मान का निम्नलिखित सूत्र की सहायता से ज्ञात किया गया–

$$t = M_1\text{-}M_2/\sigma D$$

$M1$ = प्रथम समूह का मध्यमान

$M2$ = द्वितीय समूह का मध्यमान

σD = दो मध्यमानों के अनतर की मानक त्रुटि

H_{01}

सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की सांवेगिक बुद्धि में सार्थक अन्तर नही होता है।

सारणी–1

सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों की सांवेगिक बुद्धि के 't' मान का सारांश

प्रतिदर्श	संख्या N	मध्यमान Mean	मानक विचलन s.d.	दो मध्यमानों के बीच अन्तर D	दो मध्यमानों के अन्तर की प्रमाणिक त्रुटि	df	t मान	सार्थकता स्तर
सामान्य वर्ग के विद्यार्थी	50	61.54	7.44	4.34	1.19	48	3.66	.01 *
अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थी	50	57.20	5.79					

*.01 पर सार्थक

सारणी–1 के अवलोकन से ज्ञात होता है, कि परिगणित t = 3.66 का मान .01 स्तर पर सार्थकता के लिए आवश्यक न्यूनतम तालिका मान df = 48 के लिए 2. 68 से अधिक है, इसलिए यह .01 पर सार्थक है। स्पष्टतः दोनों मध्यमानों के बीच का अवलोकित अन्तर .01 स्तर पर सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना निरस्त की जाती है तथा शोध परिकल्पना की सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की सांवेगिक बुद्धि में अन्तर है, स्वीकार की जाती है।

H_{02}

सामान्य वर्ग की छात्राओं तथा अनुसूचित वर्ग की छात्राओं की सांवेगिक बुद्धि में सार्थक अन्तर नही होता है।

सारिणी–2

सामान्य वर्ग की छात्राओं तथा अनुसूचित वर्ग की छात्राओं की सांवेगिक बुद्धि *'t'* मान का सारांश

प्रतिदर्श	संख्या N	मध्यमान Mean	मानक विचलन s.d.	दो मध्यमानों के बीच अन्तर D	दो मध्यमानों के अन्तर की प्रमाणिक त्रुटि	df	t मान	सार्थकता स्तर
सामान्य वर्ग की छात्राओं	25	61.56	5.64	4.16	1.29	23	3.23	.01
अनुसूचित वर्ग की छात्रायें	25	57.40	4.83					

सारणी–2 के अवलोकन से ज्ञात होता है, कि परिगणित t = 3.66 का मान .01 स्तर पर सार्थकता के लिए आवश्यक न्यूनतम तालिका मान df = 23 के लिए 2.81 से अधिक है, इसलिए यह .01 स्तर सार्थक है। अतः .01 स्तर पर शून्य परिकल्पना निरस्त की जाती है एवं शोध परिकल्पना कि सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्राओं की सांवेगिक बुद्धि में अन्तर है, स्वीकार की जाती है।

H_{03}

सामान्य वर्ग के तथा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों की सांवेगिक बुद्धि में सार्थक अन्तर नही होता है।

सारिणी–3

सामान्य वर्ग के छात्रों तथा अनुसूचित वर्ग के छात्रों की सांवेगिक बुद्धि *'t'* मान का सारांश

प्रतिदर्श	संख्या N	मध्यमान Mean	मानक विचलन s.d.	दो मध्यमानों के बीच अन्तर D	दो मध्यमानों के अन्तर की प्रमाणिक त्रुटि	df	t मान	सार्थकता स्तर
सामान्य वर्ग के छात्र	25	61.52	9.01	4.52	2.02	23	2.23	.01*
अनुसूचित वर्ग के छात्र	25	57.00	6.70					.05**

*.01 पर असार्थक, **.05 पर सार्थक

सारणी–3 के अवलोकन से ज्ञात होता है, कि परिगणित t = 2.23 का मान .05 स्तर पर सार्थकता के लिए आवश्यक न्यूनतम तालिका मान df = 23 के लिए .05 = 2.07 से अधिक है, इसलिए यह .05 स्तर पर सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना कि सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों की सांवेगिक बुद्धि में अन्तर नही है, अस्वीकार की जाती है। परन्तु .01 सार्थकता स्तर पर तालिका मान 2.81 से कम है, अतः .01 सार्थकता स्तर पर असार्थक हैं। अतः .05 स्तर पर तो शून्य परिकल्पना निरस्त की जाती है परन्तु .01 सार्थकता स्तर पर शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है तथा शोध परिकल्पना कि सामान्य वर्ग के तथा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों की सांवेगिक बुद्धि में अन्तर होता है, निरस्त की जाती है।

शोध निष्कर्ष एवं व्याख्या :–

1. सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की सांवेगिक बुद्धि में सार्थक अन्तर पाया गया। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की सांवेगिक बुद्धि अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों सांवेगिक बुद्धि की अपेक्षा अधिक पायी गयी।
2. सामान्य वर्ग की छात्राओं तथा अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं की सांवेगिक बुद्धि में सार्थक अन्तर पाया गया। सामान्य वर्ग की छात्राओं की सांवेगिक बुद्धि अनुसूचित जाति वर्ग के छात्राओं की सांवेगिक बुद्धि की अपेक्षा अधिक पायी गयी।
3. सामान्य वर्ग के छात्रों तथा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों की सांवेगिक बुद्धि में सार्थक अन्तर पाया गया। सामान्य वर्ग के छात्रों की सांवेगिक बुद्धि अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों की सांवेगिक बुद्धि की अपेक्षा अधिक पायी गयी।

शोध निष्कर्षों से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति वर्ग की छात्र–छात्राओं की सांवेगिक बुद्धि के सन्दर्भ में सामान्य जाति के छात्र–छात्राओं से निम्नतर है। शायद इसका प्रमुख्य कारण ऐसे विद्यार्थियों को लम्बे समय से तदनुरूप पारिवारिक वातावरण प्राप्त न होना है। आर्थिक एवं व्यावसायिक तनाव, पारिवारिक कलह अभिभावकों का निम्न शैक्षिक स्तर, सामाजिक संगठनों में भाग न होना, शैक्षिक संगठनों की उदासीनता आदि कारण है। सांवेगिक बुद्धि छात्रों को सकारात्मक सोच के लिए प्रोत्साहित करता है तथा अकादमिक चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाता है। जिन छात्रों का सांवेगिक बुद्धि स्तर ऊँचा है वे अपने तनाव का उचित प्रबन्धन करना सीख लेते है तथा उनकों पारिवारिक मित्रों के साथ सहयोगात्मक संबन्ध होते है।(मेयर व अन्य 1999)। सांवेगिक बुद्धि 'Survival of fittest' के सिद्धान्त पर आधारित है। अनुसूचित जाति छात्र–छात्रायें को आज भले ही पढ़ने के लिए छात्रवृत्तियां एवं अन्य सहायता मिलती है, किन्तु उनकी सांवेगिक बुद्धि के विकास हेतु किसी भी प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जाते। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में मात्र पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ही पूरा जोर दिया जाता है। छात्रों के सांवेगिक बुद्धि के कौशल विकास करने हेतु न ही कोई कार्यक्रम आयोजित होते है, न ही शिक्षक इस सन्दर्भ में किसी प्रकार का संज्ञान लेते है जबकि सांवेगिक बुद्धि मानसिक रूप से स्वस्थ्य रहने में सहायक होती है। (पेरराइड्स व अन्य

2007)। वर्तमान समय में अनुसूचित जाति छात्र–छात्रायें को उनके व्यावसायिक, शैक्षिक तनाव का प्रबन्धन करने तथा अपने संवेगों का उचित नियंत्रण करने की कला सिखाई जानी चाहिए। क्योकि सांवेगिक बुद्धि समायोजन में सहायता करती है (ऑसिटन व अन्य 2005)। विद्यार्थियों को उनकी मनोदशा प्रभावित करती है। अतः सकारात्मक सोच के साथ आशावादी बने रहना स्वास्थ्य के लिए संजीवनी है। इस कार्य में सांवेगिक बुद्धि सहायता करती है। विद्यार्थियों की सफलता अनुकूलन से निर्धारित होती है अतः विद्यार्थियों को समय के साथ स्वयं में बदलाव लाना चाहिए एवं वातावरण के साथ अनुकूलित होने का प्रत्यत्न करना चाहिए।

शैक्षिक निहिततार्थ

विद्यार्थियों की सांवेगिक बुद्धि के विकास के लिए उन्हें सही अवसर प्रदान किये जाने से उनको तनाव, कुण्ठा एवं अवसाद से बचाया जा सकता है। इससे छात्रों में सृजनशीलता भी विकसित होगी, जिससे समाज, राष्ट्र एवं स्वयं के विकास की सम्भावनायें बढ़ जायेंगी। विद्यार्थियों में निम्न सांवेगिक बुद्धि के कारण उत्पन्न कुण्ठा, तनाव एवं अवसाद को शिक्षकों एवं अभिभाविकों द्वारा उचित निर्देशन व परामर्श देकर दूर किया जा सकता है, इस तरह विद्यार्थियों के सुसमायोजित व्यक्तित्व से सुसंगत समाज का निर्माण हो सकेगा। विद्यार्थियों में सांवेगिक बुद्वि का समुचित विकास करके उनकी योग्यताओं, अभिक्षमताओं तथा रूचिओं एवं संसाधनों का ज्ञान कराने से वे अपनी योग्यताओं के अनुरूप कर कार्य सकेगें। इस तरह उन्हें कैरियर निर्माण में एक दिशा प्रदान की जा सकती है।

आज के समय की यह माँग एवं आवश्यकता है कि विद्यालयों के पाठ्यक्रम में सांवेगिक बुद्धि के विकास से संबन्धित गतिविधियों को शामिल किया जाय, शिक्षकों को इस संबन्ध में विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जायें। अभिभावकों को उनके पाल्यों में उचित सांवेगिक बुद्वि कौशलों का विकास करने हेतु उनसें सहयोग लिया जायें तथा उन्हे प्रोत्साहित व प्रशिक्षित किया जाय तथा इन सभी गतिविधियों में अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं को विशिष्ट प्रोत्साहन दिया जाय।

भावी शोध हेतु सुझाव

समय एवं संसाधनों की अपनी सीमा रेखा होने के कारण प्रस्तुत शोध कार्य में कई क्षेत्र पहुँच से बाहर रह गये अतः भावी शोध कार्य में रूचि रखने वाले व्यक्ति निम्न विषयों पर शोध कार्य कर सकते है–

1. इस महत्वपूर्ण शोध कार्य को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों पर शोध कार्य को किया जा सकता है।
2. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों पर लिंग, आर्थिक सामाजिक स्तर एवं निवास स्थिति के आधार पर पर भी शोध कार्य को किया जा सकता है।
3. शोध कार्य का परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों पर किया जा सकता है।
4. शोध कार्य बी. एड़. प्रशिक्षणार्थियों पर लिंग, आर्थिक सामाजिक स्तर एवं निवास स्थिति के आधार पर किया जा सकता है।
5. शोध कार्य एम. एड़. प्रशिक्षणार्थियों पर लिंग, आर्थिक सामाजिक स्तर एवं निवास स्थिति के आधार पर किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

राठौड़, अमी (2014). संवेगात्मक बुद्धि, उदयपुर : हिमांशु पब्लिकेशन।

शर्मा ए0आर0केव, (2014). इमोशनल इंटेलिजेन्स (भावनात्मक मेधा) (विवेकानन्द की दृष्टि में), विजयवाड़ा : श्री शारदा बुक हाउस।

अस्थाना, विपिन, अस्थाना, विजया एवं अन्य (2008). शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यकीय, आगरा : अग्रवाल पब्लिकेशन।

गुप्ता, एस0 पी0 एवं गुप्ता अलका (2013). अनुसंधान संदर्शिका, सम्प्रत्यय, कार्यविधियां, प्रविधियां, इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन।

मिश्रा एवं अन्य (2013) इमोशनल इन्टेलीजेन्सी ऑफ टीचर्स टीचिंग एट सेकेन्डरी स्कूल, इंटरनेशनल जनरल सांइटिफिक रिसर्च, वॉल्यम 2(10), पेज–1–5

गुप्ता, एस0 पी0 एवं गुप्ता अलका (2010). उच्च शिक्षा मनोविज्ञान, इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन।

लाल, रमन बिहारी एवं शर्मा, कृष्णकान्त (2013). भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास, समस्यायें, मेरठ : आर0 लाल बुक डिपों प्रकाशक।

मंगल, एस0 के0 (2010). शिक्षा मनोविज्ञान, दिल्ली : पी0 एच0 आई0 लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड।

सिहं, अरुण कुमार (2010). मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा शोध में विधियॉ, पटना : मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक।

सिहं, डॉ गया एवं राय, अनिल कुमार (2013). शैक्षिक अनुसंधान की विधियॉ, मेरठ, आर0 लाल बुक डिपों प्रकाशक।

शर्मा, आर0 ए0 (2013). शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया, मेरठ : आर0 लाल बुक डिपों प्रकाशक।

श्रीवास्तव, डी0 एन0 (2005). सॉख्यकीय एवं मापन, आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।

श्रीवास्तव, डी0 एन0 (2005). व्यक्तित्व का मनोविज्ञान, आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।

भटनागर, ए० बी० एवं मीनाक्षी भटनागर (2013). मनोविज्ञान आर शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, मेरठ : आर0 लाल बुक डिपों प्रकाशक।

सेंगर, बृजेन्द्र सिंह (2013). किशोरों की सांवगिक बुद्धि का उनकी शैक्षिक उपलब्धि एवं समायोजन के प्रभाव का अध्ययन : अप्रकाशित लघु शोध प्रबन्ध, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

राजन, के0 गोविन्द (2009) 'इमोशनल इंटेलीजेन्स, एप्टीट्यूट एण्ड एचिवमेन्ट इन कॉमर्श ऑफ हायर सेंकेन्डरी स्टूडेण्टस' एजूकेशन, थीसिस, अलगप्पा यूनिवसिर्टी, कडाईकुडी–630003, http://handle.Net/10603/8078,

Retrived from http://Shodhganga@infibiable.net.in in

ऑस्टिन, ई0जे0, ईवान्स, पी0, गोल वॉटर आर0 एवं पॉटर वी0 (2005) अ प्रिलिमिनरी स्टडी ऑफ इमोशनल इन्टैलीजेन्स, इमपैथी एण्ड एक्जाम परफारमेन्स इन फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेन्टस, परसानेल्टी एण्ड इन्डीविजुएल डिफरेन्सस, 39, 1395–1405

मेयर, जे0डी0, क्रूसो , डी0 एवं सॉल्वे, पी0 (2005) इमोशनल इन्टैलीजेन्स मीटस ट्रेडिशनल स्टूडन्टेस फॉर एन इन्टैलीजेन्स, इन्अेलीजेन्स, 27, 267–268

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार।

शिक्षा आयोग, 1964–66. एजूकेशन एण्ड नेशनल डवलपमेंट, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

www.sodhganga@inflibnet.nic.in

Coleman, Daniel (1995): Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than I.Q., New Delhi: Bloom Pulblising India Seconed Floor Building No. 4 DDA Complex, Pocket C - 6 & 7, Vasant Kunj.

Petrides, K.V. perez Gonzalez, J.C. and Furnham. (2007) On criterion and insemental Validity trait Emotional Intelligence.cognition and Emotion. 21. 26-29.

Kumar, Vineeth V.ManjuMehta and Nidhi Maheswari (2014) Expioring achievement motivation, adjustment and Emotional Intilligence of Students acrose different Indian demographic groups. Education Acadmic Resrarch, 2

Https//an Wikipedia.org/wik./categorg.Indian Castes

Https//aWikipedia.org/Languages_withofficial_statues _in_india.

Https//an www.guora.com/How many_ religion- in-numbers- are- present - in India

Caste system in India/ https // an. Wikipedia.org

www.Vikaspedia.in/Social Walfare

Costitutional Provision for development of schedual Tribes. Vikaspedia. In/…scheduld/ constitutional- provision - for development of schuduied caste.

Https//an Wikipedia.org/ wiki/ Resevation - in India

www.bbc.com.cdn.project.org. anv publication. Org./ jour

Farahani, Majid, M. Taghdosi & M. Behbsudi (2011). An Exploration of the relationship between Transformational Leadership & Organizational Commitmeant: The Moderating Effect of Emotional Intelligence: Case study in Iran; www. csnet.org. ilr (International business Research) Vol. 4,N,4 oct.

J. Ciarroachi, F.P. Deane, S Anderson (2002) ; Emotional Intelligence moderates the relationship between stress & Mental health, personality and Individual Difference Vol. 32, Issue - 2, 19 Jan 2002.

Endnotes

1. *Https// nim.Wikipedia.org.*
2. *ww.bbc.com.Cdnprojects org.*